रजिस्टर्ड सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 342] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 1972/आषाढ़ 28, 1894

No. 342] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 1972/ASADHA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDERS

New Delhi the 19th July 1972

S.O. 496(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Fourth Amendment Order, 1972.

2. In sub-clause (1) of clause 11 of the Imports (Control) Order, 1955, in item (gg), after sub-item (iv), the following sub-item shall be inserted, namely:—

"(v) Books, magazines, journals and literature which are not allowed to be imported under the import policy for the time being in force."

[No. 8/72.]

विदेश व्यापार मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1972

एस० ओ० 496(अ)—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा आयात व्यापार नियंत्रण खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 4 में, जिसे भूत कालीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या, 2/61, दिनांक 28 फरवरी, 1961 की अधिसूचना के साथ प्रकाशित किया गया था, और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है अर्थात् :—

आयात व्यापार नियंत्रण—खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 4 की उप-कंडिका (1) में निम्नलिखित उपबन्ध जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"बशर्ते कि पुस्तकों का आयात जो फिलहाल लागू आयात नीति के अन्तर्गत आयात के लिए स्वीकृत नहीं है उसकी स्वीकृति नहीं दी जाएगी।"

[सं० 8/72]

S.O. 496-A(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Import Trade Control—Open General Licence No. IV, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry, Import Trade Control Order No. 2/61, dated the 26th February, 1961, namely:—

In the Import Trade Control—Open General Licence No. IV, to sub-paragraph (1), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the import of books which are not allowed to be imported under the import policy for the time being in force, shall not be permitted.

[No. 9/72.]

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports

एस० ओ० 496-ए(अ).—आयात तथा निर्यात(नियंत्रण)अधिनियम, 1947(1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1 इस आदेश को आयात (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाए।

2 आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 11 की उपधारा (1) की मद (जीजी) में उप-मद (4) के बाद निम्नलिखित उप-मद को जोड़ा जाएगा, यथा :—

"(5) पुस्तिकें, पत्रिकाएं, दैनिकी और साहित्य जो फिलहाल लागू आयात नीति के अन्तर्गत आयात के लिए स्वीकृत नहीं है।"

[सं० 9/72]

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972